MR. DEPUTY CHAIRMAN: Actually I don't know what is the subject.

सुश्री मायावती : सर, आप मेरी बात सुन लीजिए कि देश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के जो लोग हैं, जिनकी जनसंख्या कुल मिलाकर देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत के करीब बन जाती है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : ठीक है, ठीक है।

Review of Supreme Court order on reservation policy in promotions

सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश) : सर, अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इन वर्गों के लोगों को सरकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर अभी तक जो आरक्षण मिल रहा था, उसको खत्म कर दिया गया है। जब यह आरक्षण खत्म कर दिया गया, तो यह मामला पार्लियामेंट में उठा, लोक सभा में भी उठा, राज्य सभा में भी उठा और पार्लियामेंट के बाहर भी उठा। लोक सभा में माननीय कानून मंत्री जी ने यह कहा था, चूंकि वे यहां बैठे हुए हैं, इसलिए मैं यह बात कह रही हूं, उन्होंने यह कहा था कि हम इस मामले को लेकर जल्दी ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाएंगे, लेकिन अभी तक तो ये लोग रिव्यू में नहीं गए हैं।...**(व्यवधान)**...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : हम रिव्यू में गए हैं।

सुश्री मायावती : चलिए, अच्छी बात है कि आप रिव्यू में गए हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, वह कई राज्यों में लागू हो गया है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बोल चुकी हैं। आपकी बात पूरी हो गई है।...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : सर, इसकी वजह से राज्यों में जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोग हैं, उनको इस मामले में बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से यह चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें दखल दें, दिलचस्पी लें, कानून मंत्री जी से मैं यह चाहूंगी, अब यह मामला बहुत गंभीर हो गया है, क्योंकि यह फैसला कई राज्यों में लागू हो गया है।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

सुश्री मायावती : सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस मामले में रिव्यू के चक्कर में न पड़ कर इस पर संवैधानिक संशोधन लाना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You made your point. Please conclude. That is all.

सुश्री मायावती : सद, यदि इस पर संवैधानिक संशोधन नहीं लाया गया, तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। हम चाहेंगे कि कानून मंत्री जी इस पर जवाब दें।...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल : अभी मैं इस पर रिस्पांड करता हूं।...**(व्यवधान)**...अभी मैं बता रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : माननीय उपसभापति महोदय, जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर आपने पार्लियामेंट का सत्र बढ़ा दिया।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : कृपया आप बैठिए। Nothing will go on record.

सुश्री मायावती : *

श्री उपसभापति : आप लोग बैठिए। Minister wants to say something. All of you please sit down. That is all. Nothing more will go on record.

सुश्री मायावती : *

श्री उपसभापति : आप अपनी बात बोल चुकी हैं, फिर आप क्यों बोल रही हैं? कृपया आप बैठिए।...**(व्यवधान)**... Okay, you associate.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Sir, I associate myself with the concern expressed by Km. Mayawati.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the point expressed by Km. Mayawati.

SHRI DEVENDER GOUD T. (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the point expressed by Km. Mayawati.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : सर, ऑल पार्टी मीटिंग में यह तय हो गया था कि इस पर संविधान संशोधन लाएंगे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस बारे में कुछ होना चाहिए।

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Deputy Chairman, Sir, I just want to clarify कि रिव्यू तो एक अलग प्रोसीजर है, वह हमने दायर कर दिया है और कोर्ट जल्दी ही उसको सुनने वाली है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी उस जजमेंट से पहले लागू थी, वह आज भी लागू है और आइंदा भी लागू रहेगी। हिंदुस्तान में कोई ऐसी संस्था नहीं है, जो नए जजमेंट के मुताबिक रिजर्वेशन अप्लाई कर रही है, क्योंकि उस नए जजमेंट में कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है। उन्होंने केवल यह कहा है कि सरकार इस मुद्दे को देखते हुए कुछ कदम उठाए और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी निर्णय से पहले भी लागू रही है और आगे भी लागू रहेगी।

सुश्री मायावती : क्या इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी राज्यों को चिट्ठी गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उससे उनका रिजर्वेशन प्रभावित न किया जाए।...**(व्यवधान)**...

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up clarifications on the Statement by the Prime Minister. ...*(Interruptions)*... हो गया। आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...बैठिए, बैठिए।...**(व्यवधान)**... Hon. Leader of the Opposition will speak now.

सुश्री मायावती : आप यह भी बताएं कि एससी, एसटी का पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला लोक सभा में लटका पड़ा है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : बहन जी, कृपया आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...बहन जी बैठिए।...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : माननीय उपसभापति जी, एक मिनट...**(व्यवधान)**...आप यह भी बताएं कि यह बिल लोक सभा में इतने दिनों से क्यों लटका पड़ा है?...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : बहन जी, अब आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...आप बोल चुकीं, मिनिस्टर ने ऐश्योरेंस दिया और अब यह हो गया।...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : यह बात प्रधानमंत्री जी बताएं।...**(व्यवधान)**...यह बिल लोक सभा में इतने दिनों से लटका पड़ा है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : मिनिस्टर ने ऐश्योरेंस दे दिया। अब आपको क्या चाहिए?...**(व्यवधान)**....नहीं, नहीं। अब हो गया।...**(व्यवधान)**...आपको ऐश्योरेंस मिल गया, अब आपको क्या चाहिए?...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : यह बिल लोक सभा में क्यों पास नहीं हो रहा है, यह लॉ मिनिस्टर बताएं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभाति : मायावती जी, अब आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...You raised the issue and you got assurance. Misraji, Minister has given assurance. What else do you want?...*(Interruptions)*...No, no. Let us proceed with the business. आप बोल चुकीं।...**(व्यवधान)**...आपको आश्वासन मिल गया, आपको और क्या चाहिए?...**(व्यवधान)**...नहीं, नहीं। । can not direct. वह ठीक नहीं है।...**(व्यवधान)**... That is not necessary...*(Interruptions)*... मिनिस्टर ने जो ऐश्योरेंस दिया, वह ठीक है।...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : सर, माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं। वे जवाब दें कि यह बिल लोक सभा में क्यों लटका पड़ा है।...**(व्यवधान)**...आप हमें इसके बारे में बताएं।...**(व्यवधान)**...लॉ मिनिस्टर बताएं, प्रधानमंती बताएं कि जब यह राज्य सभा में पास हो गया, तो लोक सभा में क्यों लटका पड़ा है?...**(व्यवधान)**...कोयले से संबंधित फाइलों के बारे में हम बाद में सुनेंगे। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ...*(Interruptions)*...

सुश्री मायावती : *

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा :*

*Not recorded.

SHRI C.M. RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, people in Andhra Pradesh are on the roads. ...*(Interruptions)*... Sir, Andhra Pradesh is boiling. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : क्या करना है? उन्होंने ऐश्योरेंस दिया है।...**(व्यवधान)**...It is not going on record. It is not going on record...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा : *

सुश्री मायावती : *

श्री उपसभापति : आप बैठिए।...**(व्यवधान)**... I will be forced to adjourn the House. Misraji, please sit down...*(Interruptions)*...I cannot hear anything...*(Interruptions)*...I will have to adjourn the House. ...*(Interruptions)*...

सुश्री मायावती : *

श्री सतीश चंद्र मिश्रा : *

श्री उपसभापति : मिश्रा जी, आप लोग बैठिए।...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा : *

श्री उपसभापति : मिश्रा जी, बैठिए।...**(व्यवधान)**...इन्होंने जवाब दे दिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : सर, हम चाहते हैं कि कोयले की मिसिंग फाइल्स के संबंध में पीएम जवाब दें।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying. ...*(Interruptions)*...

सुश्री मायावती : *

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I want to take up. ...*(Interruptions)*...I am requesting the hon. Members, including the most respected Kumari Mayawatiji, please allow the clarifications on the statement of Coal Minister ...*(Interruptions)*...Parliamentary Affairs Minister, would you like to say something?...*(Interruptions)*... The House is adjourned for ten minutes.

The House then adjourned at nine minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled at nineteen minutes past twelve of the clock.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

---

*Not recorded.

सुश्री मायावती : माननीय उपसभापति जी, ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. I am not allowing. You made your point, and now I am not allowing.

सुश्री मायावती : एससीएसटी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन...**(व्यवधान)**...से संबंधित एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। यह विधेयक राज्य सभा से पास होकर लोक सभा में लटका पड़ा हुआ है...**(व्यवधान)**...इस संबंध में हम सरकार की ओर से स्पष्टीकरण चाहते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You kindly listen to the Parliamentary Affairs Minister. ...*(Interruptions)*... Mayawatiji, the Parliamentary Affairs Minister is on his legs. Please listen to him.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to clarify कि यह बिल इस सदन में पास हुआ था, जो कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। इसको अभी लोक सभा को पारित करना है। यहां तो इसमें मोटा-मोटी कुछ सहमति बन गई थी, जिस कारण यह बिल यहां पास हुआ, लेकिन वह सहमति लोक सभा में नहीं बन पाई। माननीया सदस्या ने आज जो यह मुद्दा उठाया है, इसकी गंभीरता को हम स्वीकार करते हैं। हमने तो इसे सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करने को तैयार हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है और गवर्नमेंट की बात है, हम यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए थे।...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा : आपकी नीयत साफ होती, तो आप इसे वहां भी ले आए होते। चार हफ्ते निकल चुके हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री कमलनाथ : सतीश जी, या तो आप बोल लें या मैं बोल लूं।...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : इस बिल को पास हुए नौ महीने हो चुके हैं। आप ऐसा मत कहिए कि कांग्रेस पार्टी चाहती है।...**(व्यवधान)**...

श्री कमलनाथ : इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती तो यह बिल यहां नहीं आता और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती तो यह बिल यहां पास नहीं होता। आप यह भी अच्छी तरह जानते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा : आप वही कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ : यह बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद लोक सभा में वह सहमति नहीं बन पाई, जो इस सदन में बन गई थी। यह बिल अभी तक लिस्ट हुआ है, लेकिन इस पर बहस या चर्चा शुरू नहीं हुई। आज अभी कुछ देर बाद, एक बजे लोक सभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, मैं वहां बीएसी की मीटिंग में यह मुद्दा अवश्य रखूंगा। आप भी इसको लोक सभा की बीएसी की मीटिंग में उठा लें, ताकि हम यह मामला वहां पर तय कर लें। हमारी मंशा है, हमारी इच्छा है, हमारा लक्ष्य है कि यह बिल पास हो। हम यह बिल खुद यहां लाए थे, गवर्नमेंट

खुद यह बिल लाई थी, इस बात से आप भी इंकार नहीं कर सकते। हम सभी ने इस पर सहमति बनाई, इससे भी आप इंकार नहीं कर सकते। वही हम लोक सभा में करने को तैयार हैं।...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : आप सदन में बताएंगे...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : हम विरोध करेंगे, यह समझ कर लाइए।...**(व्यवधान)**...*

श्री नरेश अग्रवाल : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called the hon. LoP. ...*(Interruptions)*... Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*.. Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*... राम गोपाल जी, बैठिए।...**(व्यवधान)**...नरेश जी, बैठिए।...**(व्यवधान)**...आप लोग बैठिए।...**(व्यवधान)**...

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER

Regarding investigation of coal block allocations by Central Bureau of Investigation

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Minister for Coal has made two statements before this House. He made the first statement on the 20th of August, 2013 and the second statement on 23rd August, 2013. In the first statement, he was a little vague. He said 'some files may not be available. In case they are asked for we will try and supply them.' In para three, he said and I think this is extremely important because this was a methodology of concealing fair information and I quote from his statement, "The CBI has asked *interalia* for 157 applications/documents which were prior to 28.6.2004 but have not been allocated coal apart from a few other files and documents." So, the statement was paraphrased as though all these are pre-2004 files. On the same day, when clarifications were sought, he made a statement in the House, ये फाइलें कैसे मिसिंग हैं? ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 2004 से पूर्व के हैं। These are all prior to 2004. This was categorically stated. When Members were not satisfied because reports were appearing that these are all documents between 2006 and 2009 and not the documents prior to 2004, he has now made a very interesting statement which is an example of how the arithmetic of this Government works. In para 4 he says and he refers to the documents and files 'not supplied', these documents may be broadly classified as 43 files, 19 applications for coal block allotment, 157 applications of private applicant companies who had applied

*Not recorded.